नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	08.04.2026 पत्रावली पेश। पत्रावली में अपीलांट कबीर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी जा चुकी है। उक्त प्रार्थना पत्र के आदेश हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम की बहस में कथन किये कि अपीलान्ट द्वारा किसी आवश्यक कार्य हेतु जमाबन्दी प्राप्त की तो अपीलान्ट को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का नाम अंकित होने से अपीलान्ट के पैरो तले जमीन खिसक गई। अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनाक 17.10.2025 को ज्ञान हुआ, जिस पर अपीलान्ट ने जांच पडताल की तो अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश कर निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील को अन्दर मियाद गृहण किये जाने का आदेश फरमावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04, ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपीलान्ट का यह कथन कि दिनांक 17.10.2025 को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट सख्या 3 व 4 का नाम अंकित है पूर्णतः मिथ्या है क्योकि अपीलान्ट द्वारा अन्य कार्यवाही जो सिचाई विभाग के समक्ष की तथा न्यायालय ग्राम न्यायालय हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण सख्या 31/2024, शीर्षक कबीर सिंह बनाम स्टेट आदि में चक नम्बर 11 जेआरके के खाता संख्या 147/64 की भूमि का विवरण प्रस्तुत किया है जो कि माननीय ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 12.11.2024 को पेश किया गया था जिसमें पवित्र सिंह रेस्पाडेन्ट सख्या 3 भी पक्षकार था तथा अन्य प्रकरण जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश रिट सख्या 19638/2024 दिनांक 21.11.2025 को भी कबीर सिंह के द्वारा तथाकथित भूमि खाता सख्या 147/64 की पत्थर नम्बर 79/249, 79/250, 80/249, 80/250 का राजस्व रिकार्ड पेश किया था। अतः अपीलान्ट का यह आधार कि उसे जानकारी दिनाक 17.10.2025 को सर्वप्रथम हुई है. निराधार व मिथ्या होने से अपील अन्दर मियाद ग्रहण नही की जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर होने से पोषणीय नहीं होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया। 1. अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 17.10.2025 के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत आदेश के संबंध में अपील अपीलांट प्रस्तुत होने तक की अवधि तक देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रश्नगत प्रकरण संख्या 39/2015 के आदेश क्रमांक 371 दिनांक 18.12.2015 जिसकी अपील 17.10.2025 को लगभग नौ वर्ष नौ माह बाद पेश की गयी है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के वंशज है। अभिभाषक रेस्पों. द्वारा पेश मा. ग्राम न्यायालय हनुमानगढ के प्रकरण सख्या 31/2024, शीर्षक कबीर सिंह बनाम स्टेट आदि के दस्तावेज अनुसार भी स्पष्ट है की अपीलाण्ट को पूर्व में ही प्रश्नगत आदेश का ज्ञान रहा है। ऐसे में बखुबी उक्त अपील के	

अपर जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़

आदेश की अवश्य जानकारी रही है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा लगभग 9 वर्ष 9 माह बाद इस आदेश को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जिसका स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया है। अतः अपील प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने के कारण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़